बैठक रिपोर्ट

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा एवं न्यूनतम मजदूरी तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार एवं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश की पहल पर श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की समस्याओं पर संवाद के लिए 15 जनवरी, 2018 को दोपहर 3 से 5 एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

मीटिंग में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, श्रम सचिव श्रीमती सत्यवती, श्रम कल्याण के महानिदेशक श्री रजित पुन्हानी, श्रम कल्याण के उप–सचिव श्री जे.एस. सिद्धू के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से स्वामी अग्निवेश (अध्यक्ष –बंधुआ मुक्ति मोर्चा), प्रो. श्योताज सिंह (महामंत्री– बंधुआ मुक्ति मोर्चा), डॉ. लक्ष्मीधर मिश्र (पूर्व केन्द्रीय श्रम सचिव) सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामशरण जोशी एवं महावीर जैन, डॉ. महमूद प्राचा एवं सुधा गुप्ता (अधिवक्ता–सुप्रीम कोर्ट), कुमारी लता (सेवा–प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली) रितुपर्णा मोहंती (अधिवक्ता), मायाराम सूर्यवंशी (फरीदाबाद पत्थर खादान), दलसिंगार (प्रदेश अध्यक्ष बंधुआ मुक्ति मोर्चा उ०प्र०), चंदन कुमार (वर्किंग पिपुल चार्टर), कुमारी हेमलता(LEDS), प्रकाश कुमार (कचरा कामगार यूनि.) आदि लोग मौजूद थे।

ज्ञातव्य है कि स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा विगत 36 वर्षो में अब तक एक लाख अठत्तर हज़ार (178000) बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जा चुका है। भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भारत के लगभग 93 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है। भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा विविध योजनाओं और कानूनों के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिकार प्राप्त है। परन्तु योजनाओं और कानूनों की जानकारी न होने के कारण असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की दयनीय हालात में अपना जीवन बसर करते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि देश में 5 करोड़ संगठित मज़दूर है और 40 करोड़ असंगठित मजदूर है और निर्माण मजदूर कल्याण नीधि (**Building and others Construction Workers**) में मज़दूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए **Cess** का 37 हजार करोड़ रूपया जमा है, जिसमें से राज्य सरकारें केवल 10 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए है।

स्वामी अग्निवेश जी कहा कि सरकार के डाटा के हिसाब से 40 करोड़ असंगठित मजदूर है, लेकिन उनके लिए न तो सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और न ही राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का। स्वामी जी ने कहा कि सरकार योजना तो अच्छी–अच्छी बना लेती है, लेकिन उसका फायदा मज़दूरों को नही मिल पाता, इसके लिए सरकार को सामाजिक संगठनो के साथ मिलकर एक ठोस पहल करनी होगी। जिससे कि उन सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

डॉ. लक्ष्मीधर मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पूरे देश में लागू होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी होने के कारण मज़दूरों को अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन होना पड़ता है। और मज़बूरन न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन में काम करना पड़ता है जिसके कारण नियोक्ता द्वारा उनका शोषण किया जाता है। न्यूनतम वेतन से कम वेतन में काम करने पर भी समय पर मज़दूरी नहीं मिलती है। जिसके कारण वह अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और न ही गरीबी के दलदल से आगे उभर पाते है।

डॉ. महावीर जैन ने बताया कि श्रम मंत्रालय एवं श्रमिक क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय की कमी है। भविष्य में सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज के केस स्टडीज और गठन के लिए उनके बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी/उपखण्ड अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास एवं श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे पूरी तरह जानकारी नहीं है।

श्री रामशरण जोशी ने बताया कि श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर श्रम मंत्रालय द्वारा शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकें।

श्री महमूद प्राचा (अधिवक्ता सुप्रीप कोर्ट) ने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इस अवधारणा को देखते हुये राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को लागू करना चाहिए।

सेवा संगठन की तरफ से कुमारी लता ने कहा कि जो लोग अपने घरो में रहकर बुनाई, कढ़ाई, दरी आदि का कार्य करते है जो बहुत ही मुस्किल से अपना घर परिवार चलाते है, उनके लिए सरकार की ओर पहल होनी चाहिए।

प्रकाश कुमार ने कहा कि आजादी के 70 सालों के बाद भी अधिकांश भारतीय अन्यन्त गरीबी का दंश झेल रहे है और लाखों भाई–बहनों को कचरे से कागज–पन्नी चुनकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उन्हें पुलिस और नगर निगमों के कर्मचारियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। जबकि सफाई में इनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिस (डॉ. रविन्द्र वर्मा कमेटी) के सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र मथाड़ी अधिनियम, 1969 के तर्ज पर दिल्ली में मथाड़ी कानून बनना चाहिए। ताकि इन मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

WPC से चंदन कुमार ने कहा कि भारत के जी.डी.पी. का सवा दो प्रतिशत यदि खर्च किया जाए तो 40 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, जीवन एवं विकलांगता सुरक्षा, बृद्धावस्था पेंशन इत्यादि प्रदान किये जा सकते है।

स्वामी जी ने कहा कि सरकार द्वारा मज़दूरों के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं रेडियों और एफ.एम. पर मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं के विषय में नियमित प्रचार–प्रसार होनी चाहिए। जिससे कि उनको पता चले कि हमारे लिए सरकार की क्या योजनाएं है, और उनके लिए एक हेल्पलाइन नं. हो जिस पर वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। जिसके जवाब में श्रममंत्री ने कहा कि स्वामी जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन शुरू में नियमित तो नही हो सकता, साप्ताहित जरूर करेंगे, रही बात हेल्पलाइन नं. की तो जल्द ही मंत्रालय मज़दूरों के लिए हेल्पलाइन नं. शुरू करने वाला है।

मीटिंग में दलसिंगार द्वारा मुक्त बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के विषय में ध्यान आकर्षित किया गया कि मज़दूरों को मुक्त तो करा लिया जाता है, लेकिन उनका सभी ढंग से अधिकारियों द्वारा पुनर्वासत नहीं किया जाता है। जिसके कारण वह फिर कहीं न कहीं रोजगार की तलाश में चला जाता और फिर उसका शोषण किया जाता जिसके कारण वह गरीबी से उबर नहीं पाता है।

जिसके समर्थन में डॉ. लक्ष्मीधर मिश्र ने कहा कि सही बात कि जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी मुक्त तो करा देते है लेकिन उनका पुनर्वासित नहीं कराते है। यह सब अधिकारियों की लापरवाही के कारण होता है। जिसका खामियाजा मज़दूरों को फिर से भुगतना पड़ता है।

इसी संदर्भ में स्वामी जी ने कहा कि बंधुआ एवं बाल मज़दूरों के केस में **DM/SDM** को पावर दिया गया है, **DM** और **SDM** की ड्यूटी बाउंड होनी चाहिये कि जब भी बंधुआ मज़दूरों की शिकायत मिले तो उनको स्वयं जाना चाहिये। जिसके लिए सरकार को हस्क्षेप करना चाहिये।

स्वामी जी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने कहा कि स्वामी आपका जो भी सुझाव आयेगा उसको हम अपनी श्रम मंत्रालय की योजना में शामिल करेंगे और ऐसी मीटिंग बीच–बीच में होनी चाहिए। जब भी मीटिंग रखनी हो हमें जरूर सूचित करें।

सम्पर्क : **agnivesh70@gmail.com**

Date: 03-02-2018